भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या *101
11 फरवरी 2025 को उत्तर देने के लिए

मॉडल मत्स्यपालन ग्राम परियोजना

†*101. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत ऐसी समयावधि, जब मछली पकड़ने की गतिविधि कम होती है, के दौरान मछुआरों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय और पोषण संबंधी सहायता का बिहार सहित राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि बिहार के मछुआरों को मत्स्य खुदरा बाजारों में उनकी मछलियों का उचित मूल्य मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बिहार में पीएमएमएसवाई के तहत कोई मॉडल मत्स्यपालन ग्राम परियोजना आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो बिहार में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य में ऐसी पहल न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

मॉडल मत्स्यपालन ग्राम परियोजना के संबंध में 11 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *101 के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की जाती है । प्रति मछुआरा 3000 रुपए सरकारी वित्तीय सहायता और 1500 रुपए का लाभार्थी योगदान मिलकर 4500 रुपए होता है और यह राशि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान 1500 रुपए प्रति माह की दर से तीन महीनों के लिए प्रत्येक पारंपरिक मछुआरा परिवारों को प्रदान की जाती है। यह सहायता सामान्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात में जबकि संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में साझा की जाती है । विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत, सालाना औसतन 5,94,538 पारंपरिक मछुआरा परिवारों को 1384.98 करोड़ रुपए की कुल लागत पर आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की गई है, जिसमें 490.84 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश शामिल है। बिहार सहित मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान पारंपरिक मछुआरा परिवारों को प्रदान की गई आजीविका और पोषण सहायता का राज्यवार और वर्षवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): बिहार में फिश मारकेटिंग इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत, 91.906 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 1708 यूनिट्स (रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, टू वीलर/थ्री वीलर), 52 कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट, 1 अत्याधुनिक होलसेल फिश मारकेट, 90 फिश कियोस्क एवं मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मारकेटिंग के लिए 1 ई-प्लेटफॉर्म के लिए सहायता प्रदान की है। मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को वास्तविक समय (रियल टाईम) की कीमत की जानकारी प्रदान करने और उन्हें बेहतर कीमत और लाभप्रदता के लिए मोल-भाव करने में मदद करने के लिए, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने बिहार सहित 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 111 होलसेल और रीटेल फिश मारकेट्स से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों की प्रजातियों के बाजार मूल्यों को कैप्चर करने और प्रसारित करने के लिए 'फिश मारकेट प्राईस इनफोरमेशन सिस्टम' (एफएमपीआईएस) शुरू की है। बिहार सरकार ने रिपोर्ट किया है कि एफएमपीआईएस को वर्तमान में पटना और दरभंगा जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मछुआरों को फिश रीटेल मारकेट में उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिले।

(घ) और (ड.) : मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) *अन्य बातों के साथ-साथ* इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस (एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँव) के विकास के लिए तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है।

प्रत्येक इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस के विकास के लिए परिकल्पित इकाई लागत केंद्र और संबंधित राज्य सरकार के बीच 60:40 के आधार पर साझा की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भारत सरकार 100% इकाई लागत सहायता प्रदान करती है। पीएमएमएसवाई के तहत कुल 11 इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस के विकास के लिए 7756.46 लाख रुपए के कुल परिव्यय वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें (i) केरल में 6106.61 लाख रुपए की लागत से नौ तटीय गांव, (ii) लक्षद्वीप में 899.85 लाख रुपए की लागत से एक तटीय गांव और (iii) पश्चिम बंगाल में 750 लाख रुपए की लागत से एक तटीय गांव शामिल है । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से समुद्र तट के करीब स्थित 100 तटीय मछुआरा गांवों की पहचान जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गाँव / क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करने के लिए की है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ मछुआरा गांव बनाया जा सके। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद को नोडल एजेंसी बनाया गया है और पहचान किए गए 100 तटीय गांवों के विकास के प्रस्ताव को वर्तमान वित्त वर्ष में पीएमएमएसवाई के तहत कुल 200 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। पीएमएमएसवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार, दोनों घटक अर्थात इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विल्लेजस और क्लाईमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेजस केवल तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किए जाते हैं, अत: बिहार सहित अंतर्देशीय राज्यों के लिए इन घटकों के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

*****

अनुबंध

'मॉडल मत्स्यपालन ग्राम परियोजना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा 11 फरवरी 2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 101 के भाग- (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण : पीएमएमएसवाई के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को प्रदान की गई आजीविका और पोषण सहायता का राज्यवार विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार शेयर	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार शेयर	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार शेयर	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार शेयर	वास्तविक (सं.)	परियोजना लागत	भारत सरकार शेयर
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	98360	4426.20	1475.40	98360	4426.20	1475.40	123000	5535.00	1845	123000	5535.00	1845.00
2	असम	20000	900.00	480.00	21000	945.00	504.00	21000	945.00	504.00	21000	945.00	504	21000	945.00	504.00
3	बिहार	0	0	0	50000	2250.00	750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ	8000	360.00	120.00	8000	360.00	120.00	10000	450.00	150.00	10000	450.00	150.00	10000	450.00	150.00
5	गुजरात	0	0	0.00	30000	1350.00	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हिमाचल प्रदेश	3557	160.07	85.37	3557	160.07	85.37	4032	181.45	96.77	2675	120.38	64.20	3444	154.98	82.66
7	कर्नाटक	24003	1080.14	360.05	20414	918.63	306.21	24003	1080.14	360.05	24136	1086.12	362.04	23822	1071.99	357.33
8	केरल	178265	7110.00	2673.98	179316	8069.22	2689.74	183540	8259.30	2753.10	158002	6464.10	2154.70	156042	6563.55	2187.85
9	मध्य प्रदेश	10385	467.33	155.78	11237	505.67	168.56	10506	472.77	157.59	14989	674.51	224.84	12528	563.76	187.92
10	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0.00	0.00	2000	90.00	30.00	2000	90.00	30.00	0	0	0
11	मिजोरम	6283	282.74	150.79	6283	282.74	150.79	0	0	0	6304	283.68	151.30	0	0	0
12	ओडिशा	12000	540.00	180.00	20000	900.00	299.97	0	0	0	12000	540.00	180.00	1000	540.00	180.00
13	राजस्थान	103	3.09	1.11	2200	99.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सिक्किम	0	0	0	200	9.00	4.80	60	2.70	1.44	215	9.68	5.16	220	9.90	5.28
15	तमिलनाडु	216747	9753.62	3251.21	170000	7650.00	2550.00	190365	8566.43	2855.48	179000	8055.00	2685.00	179000	14320.00	2685.00
16	तेलंगाना	2000	90.00	30.00	4000	180.00	60.00	0	0.00	0.00	4000	180.00	60.00	0	0	0
17	त्रिपुरा	2239	67.17	53.74	4142	186.39	99.41	4246	191.07	101.90	3908	175.86	93.79	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	45.00	15.00
19	उत्तराखंड	0	0	0	200	9.00	4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अंडमान और निकोबार	0	0	0	1000	45.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	जम्मू और कश्मीर	17396	782.82	521.88	16286	732.87	488.58	16286	732.87	488.60	14500	652.50	435.00	17500	787.50	525.00
22	लक्षद्वीप	0	0	0	2500	112.50	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	पुदुच्चेरी	28767	1294.52	863.01	28767	1294.52	863.01	24800	1116.00	744.00	25000	1125.00	750.00	27000	1215.00	810.00
	कुल	529745	22891.48	8926.91	677462	30485.80	11208.64	589198	26513.93	9718.33	600729	26386.83	9695.03	575556	32201.68	9535.04